राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2747/2024

डॉ. विनोद अहारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचापयती राज (चिकित्सा) विभाग राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.09.2024
आदेश की दिनांक : 04.09.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री अजयराज टांटिया, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी पूर्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऋषभ देव, उदयपुर में कार्यरत था। अपीलार्थी को एस.आर. शिप (S.R. Ship) में रविन्द्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यमुक्त किया गया था। अपीलार्थी ने एक वर्ष का प्रशिक्षण संतोषजनक पूर्ण समाप्त किया परन्तु आदेश दिनांक 28.07.2024 द्वारा अपीलार्थी को चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिमलवाड़ा जिला डूंगरपुर में पदस्थापन आदेश जारी किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष पूर्व में पदस्थापन स्थान पर ही पदस्थापित करने हेतु निवेदन किया गया जबकि पूर्व में पदस्थापित स्थान पर रिक्त पद उपलब्ध है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर आयुर्वेद औषधालय चणावदा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में कार्यरत है। साथ ही अपीलार्थी के एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 14 महीने है, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए अपीलार्थी को पदस्थापन जिले से बाहर पदस्थापित किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी ने एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। अतः प्रत्यर्थी

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन दिनांक 22.08.2024 (अनुलग्नक–6) का निस्तारण किया जाकर तीन सप्ताह में विचार करते हुए अभ्यावेदन को निस्तारित कर आख्यात्मक आदेश पारित किया जावे। इस आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)